

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर राशमी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प :- अटल सेवा केन्द्र सेक्टर बल्लोडा

-: आदेश :- 004/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सरमी व भू.अ.नि. लक्ष्मी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सरमी तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	सरमी	खस्ता पते 1668/1064	रास्ता व लड़क	उत्पादी

पं०
(यकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

(मोहनलाल प्रतिहार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
राशमी
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक :-

क्रमांक/राजस्व/
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पं०
(यकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

(मोहनलाल प्रतिहार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
राशमी